(1)

<u>अनुरोध के आधार पर ऑनलाईन आवेदन हेतु आवश्यक दिशा–निर्देश</u>

1. **शिक्षक हेतु**

ऐसे शिक्षक, जो शासनादेश दिनांक 19 सितम्बर 2016 एवं 21 अक्टूबर 2016 (वेबसाईट में विद्यमान) के प्राविधानों के अनुसार अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक हैं, वे दिनांक 10 नवम्बर 2016 से अपनी पोर्टल आई०डी० या कर्मचारी ट्रेजरी आई०डी० के माध्यम से एवं अपनी जन्म तिथि व पासवर्ड admin@123# द्वारा educationportal.uk.gov.in पर लॉग इन करें। उसके पश्चात आई०डी० Request Transfer पर क्लिक करें एवं जिस श्रेणी में स्थानान्तरण चाहते हैं– 1- transfer within cadre (संवर्ग के अन्तर्गत) 2-out side cadre (संवर्ग से बाहर) कर क्लिक करें। उसके पश्चात सम्बन्धित श्रेणी जिस पर आवेदन करना चाहते हैं, क्लिक करें, यह ध्यान रहे कि जिन शिक्षकों द्वारा अपने e-profile में सम्बन्धित श्रेणी को दर्शाया है, केवल वे शिक्षक ही उसी श्रेणी के स्थानान्तरण हेतु पात्र होंगे। इस हेतु दिनांक 08 नवम्बर तक पूर्व के यूजर आई (पोर्टल आई०डी०) एवं दिये गये पासवर्ड को प्रयोग कर अपना e-Profile भली भांति जांच लें। दिनांक 09 के पश्चात किसी भी तरह का सुधार करना किसी भी स्तर से सम्भव नहीं होगा। इसके पश्चात 05 रिक्त स्थानों के विकल्प को चुने। अंत में Final Submission कर आवेदन पत्र को सुरक्षित कर लें। तत्पश्चात भरे गये आवेदन पत्र का प्रिंटआउट निकाल कर हस्ताक्षर कर एवं संस्थाध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षरित कर निर्धारित समय–सीमा में खण्ड कार्यालय में जमा कर दें। बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्रों को खण्ड कार्यालयों में स्वीकृत नहीं किया जायेगा एवं आपका आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

नोटः– यदि किसी शिक्षक का स्वयं की पोर्टल आई०डी० ज्ञात न हो तो सम्बन्धित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) से सम्पर्क करें।

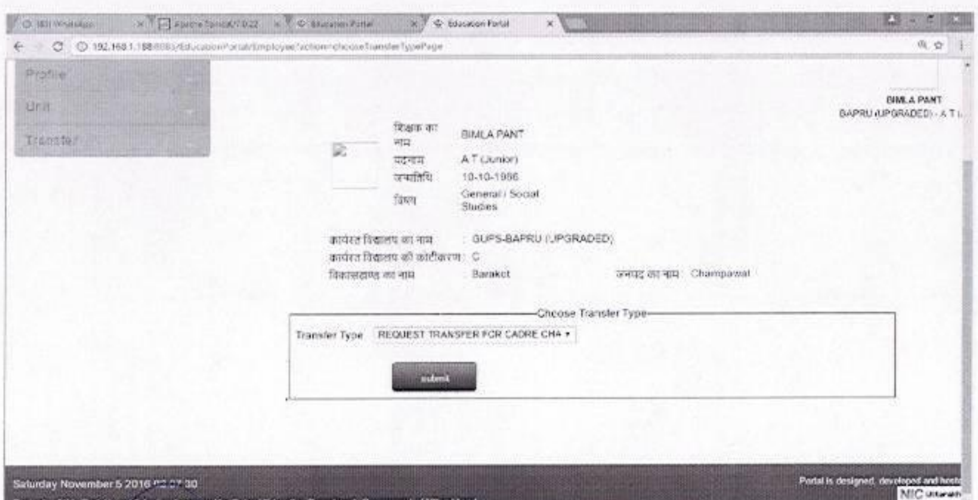

(2)

Education Portal

192.168.1.188:8085/EducationPortal/Employee?action=selectTransferType&transfer_type=rt_02

अनुसार) : 100254

शिक्षक का नाम	BIMLA PANT
पदनाम	A.T (Junior)
जन्मतिथि	10-10-1966
विषय	General / Social Studies

कार्यरत विद्यालय का नाम	GUPS-SAPRU (UPGRADED)		
कार्यरत विद्यालय की कोटीकरण	C		
विकासखण्ड का नाम	Barakot	जनपद का नाम	Champawat

अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण की पात्रता (निम्नांकित (i) से (xi) तक जो लागू हो उसके सम्मुख चिन्ह करें

गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक

--select--

[illegible]

Saturday November 5 2016 03:08:02

Contents of this Portal is published and managed by School Education Department, Government of Uttarakhand

Portal is designed, developed and hosted by NIC Uttarakhand

Education Portal

192.168.1.188:8085/EducationPortal/Employee?action=selectTransferType&transfer_type=rt_02

[illegible]

शिक्षक/शिक्षिका की ID (... के अनुसार) : 100254

शिक्षक का नाम	BIMLA PANT
पदनाम	A.T (Junior)
जन्मतिथि	10-10-1966
विषय	General / Social Studies

कार्यरत विद्यालय का नाम	GUPS-SAPRU (UPGRADED)		
कार्यरत विद्यालय की कोटीकरण	C		
विकासखण्ड का नाम	Barakot	जनपद का नाम	Champawat

अनुरोध के आधार पर स्थानांतरण की पात्रता (निम्नांकित (i) से (xi) तक जो लागू हो उसके सम्मुख चिन्ह करें

गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक

Relaxation Category

गम्भीर रोग से ग्रस्त अधिकारी

Sub Category

[illegible]

You Are Eligible for selected type of request transfer

Your Selected Relaxation Detail

श्रेणी	गम्भीर रोग से ग्रस्त अधिकारी
उप श्रेणी	[illegible]
प्रतिशत	[illegible]
प्रमाणपत्र संख्या	[illegible]
प्रमाण पत्र की तारीख	04-06-2015
प्रमाणपत्र प्राधिकारी	undefined
[illegible]	undefined

Apply

Saturday November 5 2016 03:11:16

Contents of this Portal is published and managed by School Education Department, Government of Uttarakhand

Education Portal

192.168.1.188:8085/EducationPortal/Employee?action=RTTChoiceReport&id=15

विषय Studies

कार्यरत विद्यालय का नाम	: GUPS-BAPRU (UPGRADED)		
कार्यरत विद्यालय की कोटिकरण	: C		
विकासखण्ड का नाम	: Barakot	जनपद का नाम	: Champawat

आपके द्वारा चयनित संवर्ग के अंतर्गत अनुरोध का विवरण

संवर्ग के अंतर्गत अनुरोध का प्रकार : गम्भीर रोग से ग्रस्त शिक्षक

रिलैक्सेशन टाईप : गम्भीर रोग से ग्रस्त अधिकार्मी

उप रिलैक्सेशन टाईप : एक किडनी फेल होने पर/दोनों किडनी फेल होने पर डायलिसिस पर निर्भर

छूट(रिलैक्सेशन) का विवरण

श्रेणी: गम्भीर रोग से ग्रस्त अधिकार्मी

UP श्रेणी: एक किडनी फेल होने पर/दोनों किडनी फेल होने पर डायलिसिस पर निर्भर

प्रमाण पत्र संख्या: 86

प्रमाण पत्र की तारीख: 04-06-2015

प्रमाण पत्र जारीकर्ता

प्रमाण पत्र

Request Transfer with same: संवर्ग के अंतर्गत अनुरोध

GET UNITS

Saturday November 5 2016 03:11:56

Portal is designed, developed and hosted by

Education Portal

192.168.1.188:8085/EducationPortal/Employee?action=RTTChoiceReport&id=15

उप रिलैक्सेशन टाईप : निर्भर

छूट(रिलैक्सेशन) का विवरण

श्रेणी: गम्भीर रोग से ग्रस्त अधिकार्मी

UP श्रेणी: एक किडनी फेल होने पर/दोनों किडनी फेल होने पर डायलिसिस पर निर्भर

प्रमाण पत्र संख्या: 86

प्रमाण पत्र की तारीख: 04-06-2015

प्रमाण पत्र जारीकर्ता

प्रमाण पत्र

You Are Eligible For Transfer In Current Session. Select 5 choices For Request Transfer with in Cadre

Choose Unit(Only five unit can be add): ----Select----

BHUMWARI (UCHCHIKRIT) ✖ TALIYABANJH (UPGRADED) ✖ KHOONABORA (UPGRADED) ✖ DUBARKANLEKH (UCHCHIKRIT) ✖ BIRGUL (UPGRADED) ✖

Choice	Unit Name	District	Block	Category	No Of Vacant Post
1	BHUMWARI (UCHCHIKRIT)	Champawat	Pati	E	1
2	TALIYABANJH (UPGRADED)	Champawat	Champawat	E	1
3	KHOONABORA (UPGRADED)	Champawat	Lohaghat	B	1
4	DUBARKANLEKH(UCHCHIKRIT)	Champawat	Pati	E	1
5	BIRGUL(UPGRADED)	Champawat	Champawat	D	1

submit Reset

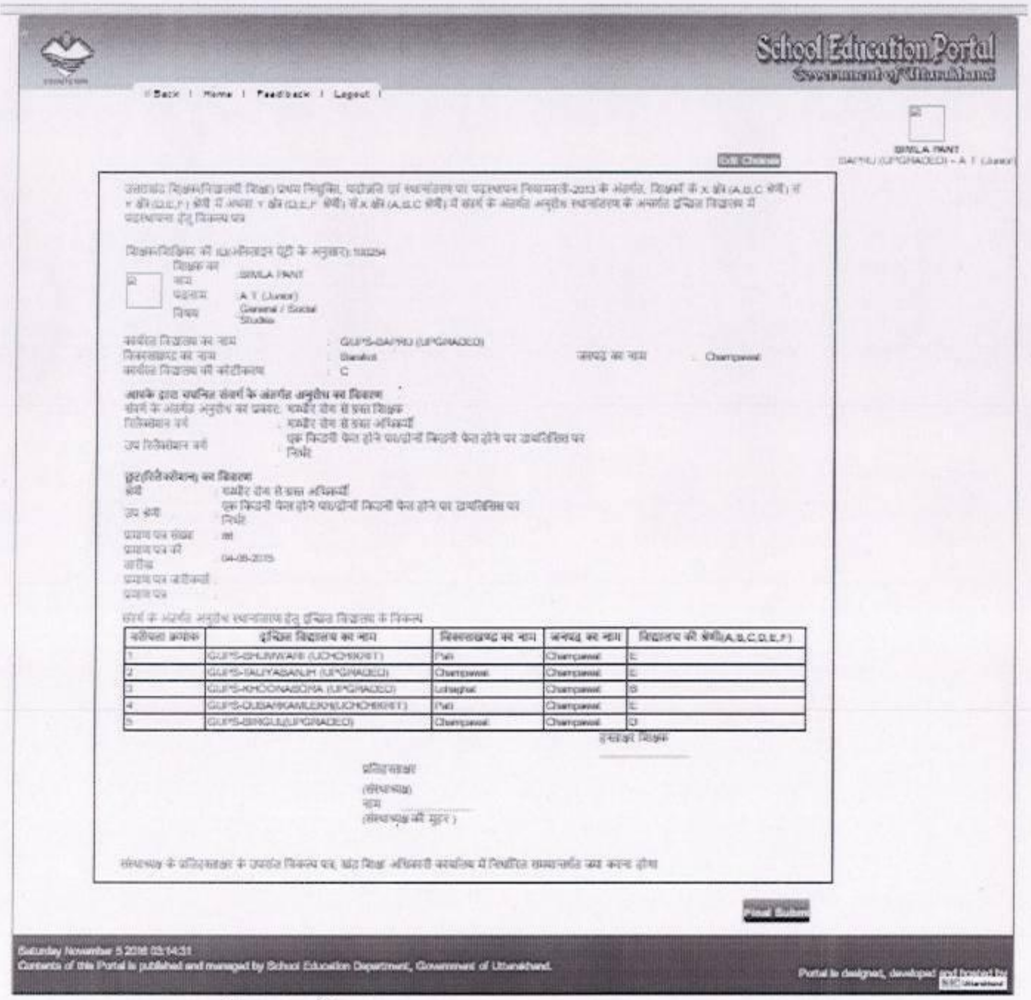
School Education Portal
Government of Uttarakhand

Back | Home | Feedback | Logout |

SIMLA PANT
GAPHU (UPGRADED) - A T (Junior)

शिक्षक का नाम : SIMLA PANT
पदनाम : A T (Junior)
विषय : General / Social Studies

कार्यरत विद्यालय का नाम : GUPS-GAPHU (UPGRADED)
विकासखण्ड का नाम : Barakot
जनपद का नाम : Champawat
कार्यरत विद्यालय की कोटीकरण : C

04-08-2015

वरीयता क्रमांक	इच्छित विद्यालय का नाम	विकासखण्ड का नाम	जनपद का नाम	विद्यालय की श्रेणी(A,B,C,D,E,F)
1	GUPS-BHUMWARI (UCHCHIKRIT)	Pati	Champawat	E
2	GUPS-BALIYASAUH (UPGRADED)	Champawat	Champawat	E
3	GUPS-KHOONABORA (UPGRADED)	Lohaghat	Champawat	B
4	GUPS-DUBA/KAMLEKH(UCHCHIKRIT)	Pati	Champawat	E
5	GUPS-BINGUL(UPGRADED)	Champawat	Champawat	D

हस्ताक्षर शिक्षक

प्रतिहस्ताक्षर
(संस्थाध्यक्ष)
नाम
(संस्थाध्यक्ष की मुहर)

Contents of this Portal is published and managed by School Education Department, Government of Uttarakhand.

2. विद्यालय हेतु :–

प्रत्येक राजकीय विद्यालय (प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / हाईस्कूल / इण्टर कालेज) अपने विद्यालयों में रिक्ति की उपलब्धता को स्पष्ट रूप से अंकित करें। बिना रिक्ति के अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक शिक्षक ऑनलाईन रिक्त विद्यालय अंकित नहीं कर पायेंगे।

1. **प्राथमिक विद्यालय / उच्च प्राथमिक विद्यालय**:–प्रारम्भिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर स्वीकृत / कार्यरत / रिक्ति की गणना की जाती है। अतः दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय दिनांक 08 नवम्बर 2016 तक प्रत्येक दशा में छात्र संख्या अंकित कर दें। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्र संख्या 100 से अधिक है एवं विद्यालय राज्य सेक्टर का है, वहां मानकानुसार अध्यापकों के पद ऑनलाईन अंकित करें। यह कार्य सी0आर0सी0 / उप शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाना है।

2. **<u>हाई–स्कूल/इण्टर कालेजः–</u>** प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में विद्यालय की आई0डी0 से लॉग इन कर विषयवार सृजित पदों की संख्या दिनांक 08 नवम्बर 2016 तक आवश्यक रूप से अंकित करें।

3. उप शिक्षा अधिकारीः–

दिनांक 08 नवम्बर 2016 तक प्रत्येक दशा में प्रत्येक शिक्षक का ऑनलाईन डाटा सही कर लें एवं प्रत्येक विद्यालय में दिनांक 30 सितम्बर 2016 के अनुसार छात्र सख्या आवश्यक रूप से अंकित की जाय। शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात क्रमवार सूची एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र आपकी आई0डी0 में भी उपलब्ध हो जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र को भली भांति जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को ऑनलाईन फारवर्ड कर दें, एवं आपत्ति वाले आवेदन पत्र पर टिप्पणी अंकित कर कि किस आधार पर आवेदन पत्र खारिज किया गया है। तत्पश्चात समय–सारिणी के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को अन्तिम दिवस पूर्ण सूची निकाल कर हस्ताक्षर कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को उपलब्ध करा दें। रिजैक्ट किये गये आवेदन पत्रों की पृथक सूची निकाल कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को उपलब्ध करायी जायेगी। शिक्षकों एवं विद्यालयों का डाटा यथा समय सही न किये जाने पर उप शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

4. खण्ड शिक्षा अधिकारीः–

दिनांक 08 नवम्बर 2016 तक प्रत्येक दशा में प्रत्येक शिक्षक का ऑनलाईन डाटा सही कर लें एवं प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में कार्मिकों के स्वीकृत पदों की संख्या को व्यक्तिगत रूप से जांच ले। शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किये जाने के पश्चात क्रमवार सूची एवं ऑनलाईन आवेदन पत्र आपकी आई0डी0 में भी उपलब्ध हो जायेंगे। प्रत्येक आवेदन पत्र को भली भांति जांच कर जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) को ऑनलाईन फारवर्ड कर दें, एवं आपत्ति वाले आवेदन पत्र पर टिप्पणी अंकित कर कि किस आधार पर आवेदन पत्र खारिज किया गया है। तत्पश्चात समय–सारिणी के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों को अन्तिम दिवस पूर्ण सूची निकाल कर हस्ताक्षर कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को उपलब्ध करा दें। रिजैक्ट किये गये आवेदन पत्रों की सूची निकाल कर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को उपलब्ध करायी जा सकती है। शिक्षकों एवं विद्यालयों का डाटा यथा समय सही न किये जाने पर उप शिक्षा अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

नोटः– खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) शिक्षकों द्वारा मांगे जाने पर उन्हे आई0डी0 उपलब्ध करायें।

5. **जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा)**

प्रारम्भिक शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर संवर्ग के अन्तर्गत स्थानान्तरण जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) स्तर से किये जाने है। उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) से प्राप्त फारवर्ड आवेदन पत्रों एवं सूची के आधार पर समय–सारिणी के अन्तर्गत काउसलिंग के माध्यम से स्थानान्तरण किये जायेंगे। ऑनलाईन आवेदन पत्रों अपनी आई0डी0 के माध्यम से भली–भांति जांच कर यदि किसी आवेदन पत्र में त्रुटि/अपूर्ण हो तो उसे पुनः सम्बन्धित उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को माध्यम से रिजैक्ट किया जा सकता है। संवर्ग के बाहर स्थानान्तरण हेतु इच्छुक आवेदन पत्रों की सूची निकाल कर मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (प्रारम्भिक शिक्षा) को उपलब्ध कराये। दिनांक 08 नवम्बर 2016 तक प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यालयों में छात्र संख्या की ऑनलाईन अंकना के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रत्येक उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को निर्देशित किया जाय।

6. **जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा)**

माध्यमिक शिक्षकों के अनुरोध के आधार पर संवर्ग के अन्तर्गत स्थानान्तरण मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) स्तर से किये जाने है। खण्ड शिक्षा अधिकारी से प्राप्त फारवर्ड आवेदन पत्रों एवं सूची के आधार जनपद की सूची निकाल कर पर समय–सारिणी के अनुसार सूची मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक शिक्षा) को उपलब्ध करायी जायेगी। ऑनलाईन आवेदन पत्रों को अपनी आई0डी0 के माध्यम से भली–भांति जांच कर यदि किसी आवेदन पत्र में त्रुटि/अपूर्ण हो तो उसे पुनः सम्बन्धित विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से रिजैक्ट किया जा सकता है। दिनांक 08 नवम्बर 2016 तक प्रत्येक शिक्षक एवं विद्यालयों में छात्र संख्या की ऑनलाईन अंकना के सम्बन्ध में अपने स्तर से भी प्रत्येक उप शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को निर्देशित किया जाय।